ळळोस-रेजीव्यालय विषय :

एफ14 68/2016/2/पांच पंजी कमांक 878/2016/2/पॉच

रिट याचिका कमांक 69/16 द्वारा मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज जिला रायसेन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन।

पंजी कं. 878/2016/2/पॉच दिनांक 26.02.2016 आबकारी आयुक्त का ज्ञाप. कं. 734/दिनांक 24.02.16

कृपया विचाराधीन पत्रका अवलोकन करें,।

2/ आबकारी आयुक्त ग्वालियर ने रिट याचिका क्रमांक
69/16 द्वारा मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज जिला
रायसेन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य की प्रति उपलब्ध
कराते हुये लेख किया है कि प्रकरण में दिनांक 21.03.2016 के
पूर्व प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय न्यायालय ने
निर्देश दिये है। अतः शासन की ओर से पक्षसमर्थन करने हेतु
सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन को प्रभारी अधिकारी
नियुक्त करने एवं विधि विभाग से प्रतिरक्षण आदेश जारी कराये
जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

3/ अतः आबकारी आयुक्त के उपरोक्त प्रस्तावानुसार सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु आदेश की स्वच्छ प्रतियां अनुमोदन की प्रत्याशा में हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है तक्ष्पश्चात् नस्ती प्रतिरक्षण आदेश जारी करने बाबत् विधि विभाग को अंकित की जायेगी।

अनुभाग अधिकारी । अशिक्ष अशिक्ष अशिक्ष अशिक्ष अशिक्ष अशिक्ष अश्री अ

2/3/14 2/3/14 03-3-16 03/3/16 03/3/16

明日本 300 fanta 4 30066

का विशाप

विषय :

एफ14 - /2016/2/पांच पंजी कमांक 878/2016/2/पॉच

रिट याचिका कमांक 69/16 द्वारा मेसर्स सोम का विभाग डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज जिला रायसेन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन।

पूर्व पृष्ठ से :-

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये है अतः नस्ती प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु विधि विभाग को अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

अनुभाग अधिकारी

(रवीन्द्र कुमारगणीश्वरी) वाणि उसे सन्दिव विभाग

म.प्र. शासन वाणिज्यिक कर विभाग

शाक्तमुधी-369-अन्त्रक्तमुधी-22-9-15-5,00,000.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at **GWALIOR**

Process Id: 4275/2016

WP/69/2016

From

Deputy Registrar, High Court of MP Bench at Gwalior

FOR ADMISSION/IF. Fixed for 21-03-2016 DA-07 Respondent No. 1 RAD

त्यालय आ कारी आयुक्त ाडे अधिकारी

Exeise Commissioner,

MP Moti Mahal Gwalior,

15 FEB DEFrict-Gwalior (MADHYA PRADESH),

Gwalior 08-02-2016

Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 69/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one M/s Som Distilleries Pvt. Ltd Thr has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/69/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 21-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) **Encl: Copy of Petition**

AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

Section Officer High Court Of Madhya Pradesh Bench Gwallor

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT GWALIOR

W.P. No.69 /2016

M/s Som Distilleries Private Limited ...Petitioner

V/s

Excise Commissioner, Madhya Pradesh Moti, Mahal, Gwalior (M.P) & others

...Respondents

INDEX

S.No.	Description of the Document	Annexure No. (If any)	Page No.
1	Chronological events		1
2	Petition	all states.	2-9
3	Affidavit	NA ELECTRO	10
4	Index	ALTERETE	11
5	Copy of the order dated 03.12.2013	P-1	12-1
6	Copy of the order dated 10.09.2015	P-2	14-16
7	Copy of the show cause notice	P-3	17
8	Copy of the reply to show cause	P-4	18 - 25
9	Copy of the memo of appeal alongwith the stay application	P-5 Colly.	21-2
10	Copy of the order dated 19.07.2012	P-6	25-1
11	Copy of the order dated 05.01.2013 and the order passed by the Hon'ble High Court dated 01.07.2013		27 -3
12	Power	inn	32

Date :- /12/2015

Humble Petitioner

Through Counsel

Anand V. Bhardwaj Advocate

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT GWALIOR

W.P. No. 69 /2016

M/s Som Distilleries Private Limited

...Petitioner

V/s

Excise Commissioner, Madhya Pradesh Moti, Mahal, Gwallor (M.P) & others

...Respondents

CHRONOLOGICAL EVENTS

S.Nc.	Dates	Description
1	30.08.2012	Petitioner was sent show cause notice
2	01.09.2012	Reply to show cause notice
3	05.01.2013	The learned Board of Revenue vide its order set aside the order dated 20.06.2011 passed
	2015	by the learned Commissioner and set aside the penulty imposed
4	01.07.2013	Copy of the order passed by the Hon'ble High Court
5	03.12.2013	Excise Commissioner passed the order Annexure P-1
6	10.09.2015	Against the order Annexure P-1, appeal was filed before the learned Board of Revenue and the earned Board of Revenue passed the order Annexure P-2 dated 10.09.2015 only on the
1900	in Spains	ground that the rules have been violated and passed the order in a technical and pragmatic manner.

Date :- /12/2015

Humble Petitioner

Through Counsel

Anand V. Bhardwaj Advocate

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH DENCH AT GWALIOR

W.P. No. 69 /2016

M/s Som Distilleries Private Limited through Authorized Signatory Shri Mahesh Batra S/o Shri R.D. Batra, Aged 58 years, Occupation: Service, R/o Pawar Sahab Ki Kothi, near Mandare Ki Mata, Kampoo, Lashkar, Gwalior (M.P)

...Petitioner

V/s

- Excise Commissioner, Madhya Pradesh Moti, Mahal, Gwalior (M.P)
- Deputy Excise Commissioner,
 Divisional Flying Squad, Ujjain
 (M.P)
- Assistant Excise Commissioner, Raisen (M.P)
- District Excise Officer, Som Distilleries Private Limited, Sehatganj, Raisen (M.P)

...Respondents

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE

DECLARATION (Under Rule 25 Chapter X)

se	rved) at _	(time) on	(date) in	(Place).
OI	Mauriya		on whom the copie	
a.F	Madhya	Pradesh Rules, 2	0008 have been	served upon
Th	e copies a	s required by Rule	25 of Chapter X or t	ne High Court



मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय

भोपाल दिनांक किया नियम संख्यांक कि आदेश सत्ताईस के नियम तथा कि अधिनयम संख्यांक कि आदेश सत्ताईस के नियम के प्रथम के अधिनयम संख्यांक कि आदेश सत्ताईस के नियम के प्रथम के अधिनयम संख्यांक कि आदेश सत्ताईस के नियम के प्रथम के अधिनयम संख्यांक आवकारी आयुक्त जिला रायसेन को (पक्षकार के नाम रिट याचिका कमांक 69/16 द्वारा मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज जिला रायसेन विरुद्ध आवकारी आयुक्त में मध्यप्रदेश राज्य में तथा उसकी ओर से प्रमारी अधिकारी के रूप में अपवर्चनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रमारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य वातों के साथ ऐसी रीति में जिसके नीचे दिये गये हैं, निम्नांकित कार्य करेगा :—

- प्रभारी अधिकारी मामले के बारे में तुरन्त ऐसी जोंच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए जिनसे मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रिया पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जायेगी।
- समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि शासकीय अभिभाषकों की सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार करवाएगा।
- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजे :--
 - (क) वाद पत्र की प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारुप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरुप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले में विशादीकरण के लिए आवश्यक कागज-पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की है, सुनवाई तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
- मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकिम और प्रगति में नियम किये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किये जाएं तथा विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेंगे।

- 10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने की और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।
- 11. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौपे जाने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाए।
- 12. प्रमारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नही रह जाय।
- 13 प्रमारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर हो तो वह जैसी ही वाद का विनिश्चय होता है। परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा, निर्णय की एक प्रति प्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाय।
- 14 प्रमारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो सह उपवाद के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किये गये किसी अन्तरित आदेशों का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाय, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग

पूष्टांकन - 68/3016/2/पाँच

भोपाल दिनांक 4 33 अपि

प्रतिलिपि :--

 शासकीय अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय 501 निर्मल टावर, पांचवी मंजिल, 26 बारहखम्बा रोड, कनाट पैलेस, नई दिल्ली—110001।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

 अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर बेंच मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/भोपाल।

आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर / महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश भोपाल।

5. सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थित प्रमाण—पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से कार्यवाही करने के लिए और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए। मामले की सुनवाई की तारीख

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग